



# पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष/फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 10 नि0 (कुक्कुट) 09/2013.....

दिनांक- ...../2018

प्रेषक,

विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0,  
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

*Email,  
Website*

जिला पशुपालन पदाधिकारी,  
पटना/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमुर/नालन्दा/नवादा/जहानाबाद/  
अरवल/गया/औरंगाबाद/वेशाली/सारण/सिवान/भागलपुर/बांका/  
जमुई/मुंगेर/लखीसराय/खगड़िया एवं शेखपुरा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चूजा उठाव एवं वितरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रक्षेत्रों में उत्पादित चूजों के उठाव के निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने के लिए बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 परिवारों में मुर्गीपालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों के चयन से संबंधित सूची संबंधित कुक्कुट प्रक्षेत्रों को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके कारण प्रक्षेत्रों से चूजा का उठाव प्रभावित है तथा लक्ष्य की प्राप्ति में ह्रास उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ कुक्कुट प्रक्षेत्रों में अधिक अवधि तक चूजा रखने पर प्रक्षेत्रों पर वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है।

अतः निदेश दिया जाता है कि मुर्गीपालन हेतु इच्छुक लाभुकों की सूची अविलम्ब कुक्कुट प्रक्षेत्र को उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना पशुपालन निदेशालय को दी जाये तथा अपने जिला हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चूजा उठाव कर लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित किया जाये।

इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक :- 10 नि0 (यो0) 03/2017..... दिनांक-...../...../2018

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना एवं सहायक निदेशक (कुक्कुट) क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आपके प्रक्षेत्र से संबंधित निर्धारित अवधि तक में 28 दिवसीय चूजा का उठाव नहीं करने पर इसकी सूचना ससमय पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को दिया जाये।

ह0/-

निदेशक, पशुपालन।

*Email,  
Website*

ज्ञापांक :- 10 नि0 (यो0) 03/2017..... दिनांक- 01/06/2018

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/मगध क्षेत्र, गया/भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर/उत्तरी बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर एवं सारण क्षेत्र, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। निदेश है कि विषयार्थित योजना की शत प्रतिशत सफलता के लिए अपने क्षेत्र के जिला पशुपालन पदाधिकारियों से प्रत्येक माह समीक्षा कर समीक्षात्मक प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाये।

निदेशक, पशुपालन।